

**राजस्थान विधान सभा**

**आठवां सत्र**

**कार्य-सूची**

**शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017**

**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**(क) अधिसूचनायें**

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

**वित्त विभाग**

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-79 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-80 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2005-2 दिनांक 11.4.2006 को अतिष्ठित करते हुए व्यवहारियों हेतु कर की दर निर्धारित की गई है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-81 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-190 दिनांक 8.3.2016 को अतिष्ठित करते हुए सिगरेटों पर कर की दर निर्धारित की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-82 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-83 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-84 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पंजीकृत टैन्ट व्यवहारियों के लिये देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-85 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पंजीकृत सर्राफा व्यवहारियों के लिये देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-86 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पंजीकृत जेम्स एण्ड स्टोन्स सर्राफा व्यवहारियों के लिये देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

**जारी..2..**

9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-87 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पेट्रोलियम कंपनियों के पंजीकृत खुदरा विक्रेता व्यवहारियों के लिये देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-88 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा आर.सी.एस. फ्लाईट्स ऑपरेटर्स को ऐवियेशन टरबाईन फ्यूल के विक्रय पर देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-89 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(161)वित्त/कर/09-1 दिनांक 02.6.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-90 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा भारतीय रेलवे को हाई स्पीड डीजल विक्रय या उस पर देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-91 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-206 दिनांक 09.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-92 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा एमनेस्टी स्कीम, 2017 लागू की गई है;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-93 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(35)वित्त/कर/ग्रुप-4/87 दिनांक 23.5.1987 की शर्त के उल्लंघन पर देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-94 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-95 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(99)वित्त/कर/07-66 दिनांक 14.2.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-96 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा नई स्वैच्छिक प्रवेश कर एमनेस्टी स्कीम, 2017 लागू की गई है;
19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-97 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा जॉबवर्क हेतु लाये गये यार्न पर प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-98 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा मनोरंजन हेतु ऑनलाईन टिकिट बुकिंग चार्ज पर कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;
21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-99 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा मोटरयानों के प्रवेश पर कर की एमनेस्टी स्कीम, 2017 लागू की गई है;

22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-100 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा संदेय विद्युत शुल्क, जल संरक्षण उपकर और नगरीय उपकर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;
23. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-101 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पैतृक सम्पत्ति से भिन्न अचल सम्पत्ति के विभाजन की लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की गई है;
24. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-102 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा बिना कब्जे वाले अचल सम्पत्ति के विक्रय इकरारनामों एवं अचल सम्पत्ति को बेचने का अधिकार देने वाले बिना प्रतिफल के मुख्त्यारनामों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 0.5 प्रतिशत की गई है;
25. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-103 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-225 दिनांक 08.3.2016 को अतिष्ठित करते हुए ऋण दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा दस लाख रुपये से घटाकर पाँच लाख रुपये की गई है;
26. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-104 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-214 दिनांक 08.3.2016 को अतिष्ठित करते हुए बंधक के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा दस लाख रुपये से घटाकर पाँच लाख रुपये की गई है;
27. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-105 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-227 दिनांक 8.3.2016 में संशोधन किया गया है;
28. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-106 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-228 दिनांक 8.3.2016 में संशोधन किया गया है;
29. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-107 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-229 दिनांक 8.3.2016 में संशोधन किया गया है;
30. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-108 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-230 दिनांक 8.3.2016 में संशोधन किया गया है;
31. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-109 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-226 दिनांक 08.3.2016 को अतिष्ठित करते हुए भागीदारी फर्मों एवं कम्पनियों के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के आदेशों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

32. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-110 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों में अधिकारों एवं हितों के आस्ति पुनर्गठन कम्पनी के पक्ष में हस्तान्तरण या समनुदेशन के लिये निष्पादित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
33. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-111 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;
34. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-112 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-56 दिनांक 14.7.2014 को विखण्डित किया गया है;
35. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-113 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा मुख्यमंत्री जन आवासन योजना -2015 के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के पात्र व्यक्तियों के पक्ष में आवंटित आवासीय इकाईयों के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
36. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-114 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा रूग्ण, सूक्ष्म और लघु उपक्रमों की सम्पत्ति के ऐसे उपक्रमों के पुनर्वास के प्रयोजनों के लिये हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
37. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-115 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 8.3.2017 से 30.4.2017 की अवधि में जमा कराने पर स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट प्रदान की गई है;
38. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-116 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा प्राप्त करने से पूर्व निष्पादित अपंजीकृत या अपर्याप्त रूप से सटाम्पित मध्यवर्ती दस्तावेजों पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट प्रदान की गई है;
39. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-117 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;
40. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-118 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
41. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-119 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(47)वित्त/कर/09-04 दिनांक 9.4.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

42. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-120 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पैतृक सम्पत्ति से भिन्न अचल सम्पत्ति के विभाजन की लिखतों पर पंजीयन शुल्क 01 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है;
43. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-121 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा बिना कब्जे वाले अचल सम्पत्ति के विक्रय इकरारनामों एवं अचल सम्पत्ति को बेचने का अधिकार देने वाले बिना प्रतिफल के मुख्त्यारनामों पर पंजीयन शुल्क घटाकर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है;
44. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-122 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पारिवारिक समझौते की लिखत पर पंजीयन शुल्क 01 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है;
45. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-123 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा भागीदारी फर्मों एवं कम्पनियों के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के आदेशों पर पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान की गई है;
46. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-124 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा 20 वर्ष तक की अवधि के अचल सम्पत्ति के किरायेनामों पर पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान की गई है;
47. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/1-वी दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/1-आर दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
48. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/22-ई दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 6(179)परि/कर/मु0/95/22-सी दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
49. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/5-सी दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/5-बी दिनांक 31.3.2000 में संशोधन किया गया है;
50. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/2 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/3 दिनांक 09.3.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य में रजिस्ट्रीकृत या समनुदिस्ट मोटरयानों के कतिपय वर्गों को एकमुश्त कर का अनिवार्य रूप से सशर्त कर संदाय निश्चित किया गया है;
51. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/3-एन दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/ मु0/95/3-एच दिनांक 1.3.2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

52. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/1 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 में संशोधन किया गया है;
53. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/3 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(96)कर/शैक्षणिक/89 दिनांक 21.7.1993 को विखण्डित किया गया है; एवं
54. आदेश संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-125 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम, 2014 में संशोधन किया गया है ।

### **(ख) वार्षिक प्रतिवेदन**

- (I) श्री गजेन्द्र सिंह, पर्यावरण मंत्री, राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2010 की धारा-21 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।
- (II) श्री राजेन्द्र राठौड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) के अन्तर्गत राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

### **3. याचिकाओं का उपस्थापन**

- (I) श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-
- 1- विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने बाबत् ।
  - 2- विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास (अलवर) के कोटकासिम को जिला बनाने बाबत् ।
- (II) श्री दलीचन्द डांगी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्राम पंचायत मुख्यालय करूकड़ा, तहसील कपासन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।
- (III) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र खींवसर की ग्राम पंचायत खरनाल के गांव चिमरानी में स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण करवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।
- (IV) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी उपखण्ड मुख्यालय पर उप-कोष (ट्रेजरी) कार्यालय खुलवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।
- (V) श्रीमती सोना देवी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के विभिन्न सीमावर्ती ग्रामों में पर्याप्त विद्युत सप्लाई किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

#### 4. विधायी कार्य

##### पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

##### (I) जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय  
(संशोधन) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-14)

"जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय  
अधिनियम, 1962 को और संशोधित  
करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।

##### (II) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-15)

"राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम,  
1946 को और संशोधित करने के लिए  
विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।

##### (III) मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय  
(संशोधन) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-16)

"मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय  
अधिनियम, 1962 को और संशोधित  
करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।

**(IV) राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य  
विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-17)

"राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य  
विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम,  
2012 को और संशोधित करने के लिए  
विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।

**(V) महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,  
बीकानेर(संशोधन) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-18)

"महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,  
बीकानेर अधिनियम, 2003 को और  
संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।

**(VI) गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

गोविन्द गुरु जनजातीय  
विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा(संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-19)

"गोविन्द गुरु जनजातीय  
विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा अधिनियम,  
2012 को और संशोधित करने के लिए  
विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।



**(VII) कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-20)

"कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम,  
2003 को और संशोधित करने के लिए  
विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।

**(VIII) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन)  
विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी  
विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-21)

"पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी  
विश्वविद्यालय,सीकर अधिनियम,  
2012 को और संशोधित करने के लिए  
विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।

**(IX) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,  
कोटा(संशोधन) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-22)

"वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,  
कोटा अधिनियम, 1987 को और  
संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।

**(X) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

महर्षि दयानन्द सरस्वती  
विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-23)

"महर्षि दयानन्द सरस्वती  
विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 को  
और संशोधित करने के लिए  
विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।

**(XI) महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

महाराजा सूरजमल बृज  
विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन)  
विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-24)

"महाराजा सूरजमल बृज  
विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम,  
2012 को और संशोधित करने के लिए  
विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।

**(XII) हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन)**

**विधेयक, 2017**

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और  
जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर  
(निरसन) विधेयक, 2017  
(2017 का विधेयक संख्या-25)

"हरिदेव जोशी पत्रकारिता और  
जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर  
अधिनियम, 2012 को निरसित करने  
के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।

**5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018**

**प्रथम अवस्था**

**अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद**

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

( विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी )

पृथ्वी राज  
सचिव

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 09 मार्च, 2017